

प्रधान,

बड़ूया० मिह
लगरीय भवन
उत्तर प्रदेश

नगरीय

प्रधान,

राज्य नगरीय विकास अभियान,
५०प्र०, लखनऊ।

लगरीय नगरीय एवं गरीबी
उन्मुक्त कार्यक्रम विभाग।

विषय: शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक वाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मत्तिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत इन-सौट आवासों की ०१ परियोजना की वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में अनुदान संख्या-३७ से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-५२६३/१७३/१०/छ: /विविध/आसरा/तकनीकी (महोदय-कुलपहाड़-५३२) दिनांक १६ मार्च, २०१५ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक वाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मत्तिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में अनुदान संख्या-३७ में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित जनपद-गोणडा की निकाय-नवाबगंज की २२५ आवासों की ०१ परियोजना हेतु ₹० ११३२.६८ लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, तालिका के स्तम्भ-७ में अंकित प्रथम किशत के रूप में परियोजना लागत का ४० प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि ₹० ४५३.०७२ लाख (रुपये चार करोड़ तिरपन लाख सात हजार दो सौ मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद/ निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या।	अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत।	प्रथम किशत (४० प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (सेन्ट्रेज चार्ज एवं लेबर सेस सहित)।
१	२	३	४	५	६	७
१	महोदय/ कुलपहाड़	५३२	२६७८.१६	२२५	११३२.६८	४५३.०७२
योग				२२५	११३२.६८	४५३.०७२

- उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- ३३/६९-१-१३-१४(३१)/२०१२टीसी(सी), दिनांक १६ जनवरी, २०१४ एवं शासनादेश संख्या-१८३३/६९-१-१४-१४(३१)/२०१२टीसी(सी) दिनांक ०९ सितम्बर, २०१४ में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-६ के अध्याय-१२ के प्रस्तर-३१८ में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों के आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपतियां एवं पर्यावरणीय क्षिलयरूप्स प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रधान/प्रधा० कुलपहाड़, प्रा०

4. उक्त दृष्टिकोण से इस बाबत पर निर्वाचित प्राप्ति अनुसार सम्बन्ध भविता है। शर्तों के अनुसार उक्त धनराशि निर्वाचित भवते ही यथा जी लाभेगी। यदि अनुसार नहीं तो अनुसार नहीं लाभेगी। अनुसार नहीं तो अनुसार नहीं लाभेगी।
5. उक्त दृष्टिकोण से इस बाबत में यहीं प्रकार का एक संबंध अनुभवन्य होता है।
6. उक्त दृष्टिकोण से इस बाबत में जो होता है, उक्त धनराशि अनुसार नहीं लाभेगा। अनुसार नहीं लाभेगा।
7. सूड़ा/दूड़ा द्वारा एक भूतिकृति किया जायेगा तो स्वीकृत किये जा रहे इस कार्ये द्वारा पूर्ण के संबंध सम्बन्ध अथवा जीसी अन्य साथ से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ये योजना द्वारा समिक्षित है। उक्त स्वीकृत धनराशि अवधित परिवर्त्य के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्विराशिका/पुनरापूर्ति न हो इस सूड़ा/दूड़ा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत कोई उन्नेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ावा, कार्यों के आकार/दोषफल में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टिगों दृस्तेमात्र करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये विना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/डाइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. सूड़ा/दूड़ा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित इडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवारों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि विन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित इडा/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन वार्षक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), ३०प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाठचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपजिट खाते व पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के कर्त्ता की स्वीकृत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्त्यों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।

14. इस दस्तावेज का उपर्युक्त चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलंडर अवधि के लिए जारी गोपनीयत्वान्वत प्रथम किसी के द्वारा भी स्वीकृत उक्त धनराशि की 15 प्रतिशत धनराशि, व्यय हो जाने के पश्चात् तथा उसके आगे भीतिक पर्याप्ति/गुणवत्ता से रूपूरूप होने के पश्चात् 3. प्रतिशत वर्माण-37 शास्त्र द्वारा समय से उपलब्ध बताया आयेगा। तदोपरालं योजना की 40 प्रतिशत धनराशि दिनों पर इस दौर में अवमुक्त की जायेगी। प्रथम एवं द्वितीय किसी दी राष्ट्रीय धनराशि की 25 प्रतिशत छा डर्याग होने पर 15 प्रतिशत धनराशि दूरीव किसी के स्पष्ट में अवमुक्त की जाएगी। निर्माण कार्य के भीतिक अन्ति तथा अग्रदल गुणवत्ता, अस्थास्थिति, वियंगक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापिति किये जाने के पश्चात ही द्वितीय एवं दूरीव किसी की धनराशि जारी की जायेगी। परियोजना का कार्य पूर्ण होने तथा कार्य को गुणवत्ता संतोषजनक बने पर ही बकाया अपनिशत की अवशेष धनराशि जारी की जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुपर्योगित धनराशि ददि जारी हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षान्वत पर अपने लेखों का जिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेख से अवश्य करायेंगे।
16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एम०ओ०य०) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित इडा को निर्देशित किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक “4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-वृहद निर्माण कार्य” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० संख्या-ई-8-1820/दस-2015 दिनांक 23 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
 hps
 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव/म

संख्या-५९०/2015/890(1)/69-1-15, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सियिल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, महोबा।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/वजट समन्वयक।

आज्ञा से,
 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।